न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 128/2021

अनवान : –

1. पवन कुमार पुत्र नत्थुराम जाति बाल्मिकी (हरिजन) निवासी नोहर तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. ज्योति पुत्री मैना देवी जाति बाल्मिकी (हरिजन) निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. निशा पुत्री मैना देवी जाति बाल्मिकी (हरिजन) निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. पवन कुमार पुत्र. रामकुमार जाति बाल्मिकी (हरिजन) निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. भालाराम पुत्र ख्यालीराम जाति बाल्मिकी (हरिजन) निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. रामलाल पुत्र सन्तलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. राहूल पुत्र मैना देवी जाति बाल्मिकी (हरिजन) निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. सोहनलाल पुत्र बस्तीराम जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 212(2)आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 02/06/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की सायला ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थाश काश्तकार अधिनियम क़ी धारा 212 (2) के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 184 के ख0न0 65/2 की 1.3660 हैक्ट भूमि जिसमें वादी का 57/1366 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 का 47/13660 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 का 23/6830 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 का 36/683 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 का 36/683 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 का 38/683 हिस्सा, प्रतिवादी स0 6 का 47/13660 हिस्सा, प्रतिवादी स0 7 का 1075/1366 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि कस्बा नोहर के नजदीक है तथा किमती होने के कारण भूमाफिया व अपराधिक किस्म के लोगो की नजर वाद भूमि पर है जिनके प्रतिवादीगण संख्या 5 व 7 तथा प्रतिवादी स0 8 मिलकर कॉलोनी काटना चाहते है इस उददेश्य की पूर्ती हेतु प्रतिवादी स0 5–7 ने बिना खाता विभाजन करवाये भूमि की किस्म परिवर्तन कर आबादी में परिवर्तन कर प्लॉट काटना शुरू कर दिये है जिससें वादी को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे व उक्त [illegible] में किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करे तथा किस्म परिवर्तन न करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 18:00:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 7 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज है सभी पक्षकारान मुताबिक बंटवारा काश्त करते आ रहे है तथा न ही उत्तरदाता द्वारा किसी प्रकार का निर्माण किया जा रहा है। वाद भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता व लगान अलग किया जाता है तो मुझे कोई ऐतराज नही है। वाद भूमि बाबत किसी प्रकार का विवाद नही है इसलिए रिसिवर नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नही है। उत्तरदाता रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की वाद भूमि कस्बा नोहर के नजदीक है तथा किमती होने के कारण भूमाफिया व अपराधिक किस्म के लोगो की नजर वाद भूमि पर है जिनके प्रतिवादीगण संख्या 5 व 7 तथा प्रतिवादी स0 8 मिलकर कॉलोनी काटना चाहते है इस उददेश्य की पूर्ती हेतु प्रतिवादी स0 5–7 ने बिना खाता विभाजन करवाये भूमि की किस्म परिवर्तन कर आबादी में परिवर्तन कर प्लॉट काटना शुरू कर दिये है जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे वे उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करे तथा किस्म परिवर्तन न करे। इसलिए उक्त भूमि को कूर्क किया जाकर रिसिवर नियुक्त किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की वाद भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज है सभी पक्षकारान मुताबिक बंटवारा काश्त करते आ रहे है तथा न ही उत्तरदाता द्वारा किसी प्रकार का निर्माण किया जा रहा है। वाद भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता व लगान अलग किया जाता है तो मुझे कोई ऐतराज नही है। वाद भूमि बाबत किसी प्रकार का विवाद नही है इसलिए रिसिवर नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नही है। उत्तरदाता रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया। प्रकरण मे प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि सायला व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सायला द्वारा उक्त भूमि को रिसिवर नियुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है लेकिन अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि अगर उक्त वाद भूमि का खाता व लगान अलग किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है। प्रार्थी द्वारा खाता व लगान अलग करवाने हेतु वाद पेश किया गया है जो की साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है उक्त विभाजन हेतु अप्रार्थी द्वारा सहमति प्रकट की गई है। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में ।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप सायला का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2)(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/06/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 18:00:46 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर